अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी

82/2021/ बाज०प्रा०५७/ मु०शांतिदेवी V/s रामेश्वरी

तारीख़	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	श्री ईश्वर देवड़ा श्री मुकेश जैन

मु.शांति देवी बनाम रामेश्वरी वगैरह

31.3.21

बाजदायरी प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण पुनः नम्बर पर लिए जाने पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी निवेदन किया कि उक्त प्रकरण वर्ष 2010 से मान्नीय न्यायालय में निरन्तर विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी अभिभाषक निरन्तर प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहा है, प्रार्थी अभिभाषक की कभी ऐसी मंशा नहीं रही कि वह न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आवाज लगनेपर उपस्थित नहीं हो। गत पेशी पर प्रकरण में मृतक पक्षकार का नाम तर्क करवाकर वास्ते संशोधित उनवान हेतु प्रकरण नियत था किन्तु दिनांक 02.03.2021 को लगभगत दो बजे के आसपास मुझ प्रार्थी अधिवक्ता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मै घर चला गया। जिससे प्रार्थी अभिभाषक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। तत्पश्चात प्रकरण को न्यायालय द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आवश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगे इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका।मान्नीय राजस्व मण्डल एवं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनेको सिद्धान्तो में यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण को तकनीकी आधार पर निस्तारित न कर पक्षकारों के हक व अधिकारो का विधि सम्मत निर्धारण हेतु गुणावगुण पर निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि दिनांक 02.03.2021 को मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील वास्ते बहस हेतु नियत थी। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है। जो विधि सम्मत है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि यदि न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जावे तो भारी कोस्ट पर स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी (प्रकरण पुनः नम्बर पर लिए जाने) को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर